न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 122/2015

1 सलमा बानो उम्र 70 वर्ष पत्नी अली मोहम्मद।
2 हाकम अली उम्र 50 वर्ष पुत्र अली मोहम्मद समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुल्तान खां पुत्र लाऊ खां।
1/1 आमीन पुत्र सुल्तान खां।
1/2 रमजान पुत्र सुल्तान खां।
1/3 भंवरी पत्नी सुल्तान खां।
2 मोती खां पुत्र अली मोहम्मद।
3 गुलशन बानो पुत्री अली मोहम्मद।
4 अनार बानो पुत्री अली मोहम्मद।
5 सुप्यार बानो पुत्री अली मोहम्मद।
6 छोटी उर्फ छोटली बानो पत्नी फैज मोहम्मद।
7 फतु खां उर्फ फतेह मोहम्मद पुत्र फैज मोहम्मद।
8 किस्म बानो पुत्री फैज मोहम्मद।
9 जीवनी बानो पुत्री फैज मोहम्मद।
10 सिराज खां पुत्र लियाकत अली खां
11 सुलेमान खां पुत्र रहीम खां समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 हल्का पटवारी जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 वाद संख्या 67/2013 बउनवानी सुल्तान खां बनाम सलमा बानो आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर कैम्प धाननी अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 67/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत उद्घोषणा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 3.49 हैक्टर (13 बीघा 16 बिस्वा) ग्राम मलसीवास जाजोद में है, जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पूर्वज रायब खां की खातेदारी में थी, जिसमें 3 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता भूमि जरिये विक्रय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्र दिनांक 01.02.1968 को वादी ने क्रय की थी, लेकिन नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। रायब खां के बाद आराजी उत्तराधिकारीगण के नाम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 11 के पिता द्वारा कागजी खातेदारी के आधार पर 1/3 भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में कर दिया। वादी ने समझा की खातेदारी अंकित हो गयी लेकिन वास्तव में नहीं हुई। इसलिए वाद डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 7 रकबा 3.49 हैक्टर में से 3 बीघा 3 बिस्वा (0. 7954 हैक्टर) का खातेदार घोषित किया जावे, इस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.07.2015 को वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.04.2015 को आदेशिका में अंकित किया है कि वकील प्रतिवादीगण की जवाबदेही बंद की जाती है आगामी तिथि वादी की साक्ष्य हेतु 16.04.2015 नियत की गई। दिनांक 16.04.2015 को पुनः साक्ष्य वादी हेतु 07.05.2015 नियत की गई है। दिनांक 07.05.2015 को आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने का अंकन है एवं वादी की ओर से सुल्तान खां का शपथ पत्र पेश होने का अंकन है। आगामी तिथि 03.07.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादी को वादी के साक्ष्य से जिरह का अवसर प्रदान किया गया है, न ही प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है एवं न ही उभयपक्ष की बहस सुनी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 में विधिक प्रावधान हेतु 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर जवाबदेही बंद की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही बंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसी प्रकार सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के अनुसार विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दी है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय में विक्रय पत्र का खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 7 का आवेदन भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.04.2015 को आदेशिका में अंकित किया है कि वकील प्रतिवादीगण की जवाबदेही बंद की जाती है आगामी तिथि वादी की साक्ष्य हेतु 16.04.2015 नियत की गई। दिनांक 16.04.2015 को पुनः साक्ष्य वादी हेतु 07.05.2015 नियत की गई है। दिनांक 07.05.2015 को आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने का अंकन है एवं वादी की ओर से सुल्तान खां का शपथ पत्र पेश होने का अंकन है। आगामी तिथि 03.07.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादी को वादी के साक्ष्य से जिरह का अवसर प्रदान किया गया है, न ही प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है एवं न ही उभयपक्ष की बहस सुनी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते